उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या:- 9(3/XXXVI-03-2025-1792147)

लखनऊ दिनांक: 4-07-, 2025

## अधिसूचना

चूँिक साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-63 सन् 1948) की धारा 6 और धारा 112 के अधीन शिक्तयों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस उत्तर प्रदेश कारखाना (पचहत्तरवाँ सशोधन) नियमावली, 2025 को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, सरकारी अधिसूचना संख्या-01/2025/609/छत्तीस-03-2025-1792147, दिनांक 23 अप्रैल, 2025 द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-63 सन् 1948) की धारा 115 के अधीन अपेक्षानुसार उक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पैतालीस दिवस की अवधि के भीतर उसके संबंध में आपितियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित की गयी थी;

और चूँकि कोई आपति या सुझाव नियत समय के भीतर प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-63 सन् 1948) की धारा 6 और धारा 112 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

## उत्तर प्रदेश कारखाना (पचहत्तरवाँ संशोधन) नियमावली. 2025

संक्षिप्त नाम और	1(1) यह नियमावली उत्तर प्रदे	श कारखाना (पचहत्तरवाँ संशोधन)	
प्रारम्भ	नियमावली, 2025 कही जायेगी।		
	(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत होगी।		
अनुसूची-दो	2. उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 (जिसे आगे "उक्त नियमावली"		
का संशोधन	कहा गया है), में नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-दो के विद्यमान पैरा		
	3 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया	गया पैरा रख दिया जायेगा. अर्थात्ः-	
	स्तम्भ-एक	स्तमभ-दो	
	विद्यमान पैरा	एतदद्वारा प्रतिस्थापित पैरा	
	3. महिलाओं और युवा व्यक्तियों	3. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध-	
	से संबंधित निषेध- किसी भी	किसी भी किशोर अथवा बालक को	
	महिला, किशोर या बालक को	बाथ पर कार्य करने के लिए	
	बाथ पर कार्य हेतु नियोजित या	नियोजित करने या कार्य करने की	
	काम करने की अनुमति नहीं दी अनुमति नहीं दी जायेगी।		
	जायेगी।	3क- महिलाओं के नियोजन की शर्त-	
		महिला कर्मकारों को उनकी	

सहमित से निम्निलिखित शर्तों के अध्यधीन बाथ पर काम करने के लिए नियोजित किया जा सकता है या कार्य करने की अनुमित दी जा सकती है:(1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य

- (1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।
- (2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो. समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/ स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।
- (3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बाथ पर कार्य करने के लिए नियोजित करने या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुसूची-तीन का संशोधन 3. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची 3 के विद्यमान पैरा 3 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात्ः

विद्यमान पैरा
3. महिलाओं और युवा व्यक्तियों
से संबंधित निषेध- किसी भी
महिला या युवा व्यक्ति को किसी
भी सीसे की प्रक्रिया में या किसी
ऐसे कमरे में काम करने के लिए
नियोजित या अनुमति नही दी
जायेगी जहां सीसे के कच्चे
ऑक्साइड का हेरफेर या चिपकाने

का काम किया जाता है।

स्तम्भ-एक

## स्तम्भ-दो एतदद्वारा प्रतिस्थापित पैरा

3. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेधकिसी भी किशोर अथवा बालक को
किसी भी सीसे की प्रक्रिया में या
किसी ऐसे कमरे में काम करने के
लिए नियोजित या अनुमति नहीं दी
जायेगी जिसमें सीसे के कच्चे
ऑक्साइड के अभिचालन या
चिपकाने का काम किया जाता है।
3क-महिलाओं के नियोजन की शर्तमहिला कर्मकारों को उनकी
सहमति से निम्नलिखित शर्तो के
अध्यधीन किसी भी सीसा प्रक्रिया में



या किसी ऐसे कमरे में नियोजित करने या काम करने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें सीसे के कच्चे अभिचालन ऑक्साइड के चिपकाने का काम किया जाता है:-(1) व्यावसायिक स्रक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्रक्षा मानकों को अपंनाया जाएगा। (2) अधिभोगी. जहां तक संभव हो. समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/ स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा। (3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुसूची-चार का संशोधन 4. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-चार के विद्यमान पैरा 4 के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात:-

## स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा

4. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में या किसी भी स्थान पर जहां इस तरह के संचालन किये जाते हैं, नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

## स्तम्भ-दो एतदद्वारा प्रतिस्थापित पैरा

4. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेधकिसी भी किशोर अथवा बातक को
पैरा 3 में विनिर्दिष्ट किसी भी
आपरेशन में या ग्लास ब्लोइंग पर
या किसी भी ऐसे स्थान पर जहां
इस तरह के आपरेशन किये जाते
है, में नियोजित करने या काम
करने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
4क- महिलाओं के नियोजन की
शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी
सहमित से निम्नलिखित शर्तों के
अध्यधीन पैरा 3 में विनिर्दिष्ट किसी

30

भी कार्य में तथा ग्लास ब्लोडंग पर या किसी ऐसे स्थान पर जहां ऐसे आपरेशन किए जाते हैं नियोजित करने या कार्य करने की अन्मति दी जा सकती है:-(1) व्यावसायिक स्रक्षा स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्टीय स्रक्षा मानकों को अपनाया जाएगा। (2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/ स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आध्निक उपकरणों का उपयोग करेगा। (3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुसूची-छः का संशोधन 5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-छः के विद्यमान पैरा 4 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थातः-

#### स्तम्भ-एक स्तम्भ-दो विद्यमान पैरा एतदद्वारा प्रतिस्थापित पैरा 4. महिलाओं और युवा व्यक्तियों 4. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध-से संबंधित निषेध- किसी भी किसी भी किशोर अथवा बालक को महिला या युवा व्यक्ति को पैराग्राफ पैरा 3 में विनिर्दिष्ट किसी भी 3 में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन ऑपरेशन में नियोजित करने या में नियोजित या काम करने की काम करने की अनुमति नहीं दी अनुमति नहीं दी जाएगी। जाएगी। 4क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नितिखित शर्तो के अध्यधीन पैरा 3 में विनिर्दिष्ट किसी भी कार्य में नियोजित करने या काम करने की अनुमति दी जा सकती

考:-

- (1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।
- (2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो. समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं /स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।
- (3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुसूची-सात का संशोधन 6. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-सात में विद्यमान पैरा 1 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

## स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा

1. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी इमारत में प्रवेश करने या काम करने या नियोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें खतरनाक पेट्रोलियम से गैस का उत्पादन किया जाता है।

## स्तम्भ-दो एतदद्वारा प्रतिस्थापित पैरा

1. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध-किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी ऐसी इमारत में नियोजित करने या काम करने या प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें खतरनाक पेट्रोलियम से गैस का उत्पादन किया जाता है।

ाक- महिलाओं के नियोजन की शर्त-महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्निलखित शर्तों के अध्यधीन ऐसी इमारत में नियोजित करने या काम करने या प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें खतरनाक पेट्रोलियम से गैस का उत्पादन किया जाता है:-

(1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य

		(ओएसएच) प्रदान करने के लि
		अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा
		मानकों को अपनाया जाएगा।
		(2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो:
		समय-समय पर उपर्युक्त
		प्रक्रियाओं / स्थानों का आधुनिकीकरण
		करेगा और आधुनिक उपकरणों का
		उपयोग करेगा।
		(3) गर्भवती और स्तनपान कराने
		वाली महिला को बाथ पर नियोजित
		करने या काम करने की अनुमति
		नहीं दी जाएगी।
अनुसूची-आठ	7. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-	एक में दी गई अनुसूची-आठ के पैरा 2
का संशोधन	के विद्यमान दूसरे परंतुक के स्थान प	ार स्तम्भ-दो में दिया गया परंतुक रख
	दिया जाएगा, अर्थात्:-	
	स्तम्भ-एक	स्तम्भ-दो
	विद्यमान परन्तुक	एतदद्वारा प्रतिस्थापित परन्तुक
	आगे यह भी प्रावधान है कि	पंरतु यह और कि किसी भी
	किसी भी महिला या युवा व्यक्ति	किशोर अथवा बालक को रेत-
	को रेत-विस्फोटन के किसी भी	विस्फोटन के किसी भी प्रचालन में
	कार्य में नियोजित नहीं किया	नियोजित नहीं किया जाएगा या
	जाएगा या काम करने की अनुमति	काम करने की अनुमति नहीं दी
	नहीं दी जाएगी।	जाएगी।
	8- उक्त नियमावली में, अनुसूची आठ	में, पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा
	२क जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:-	
	नया पैरा 2-क का जोड़ा जाना	महिलाओं के नियोजन की शर्ते-
		महिला कर्मकारों को रेत विस्फोटन
		के किसी भी कार्य में उनकी सहमति
		से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन
		नियोजित किया जा सकता है या
		काम करने की अनुमति दी जा
		सकती है:-
		(1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य
		(ओएसएच) प्रदान करने के लिए
		अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा



अन्सूची-दस

का संशोधन

जाएगा, अर्थात:-

मानकों को अपनाया जाएगा। (2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो. उपयुक्त समय-समय पर प्रक्रियाओं / स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा। (3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अन्मति नहीं दी जाएगी। 9. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-दस में विद्यमान पैरा 4 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया स्तम्भ-एक स्तम्भ-दो एतदद्वारा प्रतिस्थापित पैरा विद्यमान पैरा 4. महिलाओं और युवा व्यक्तियों 4. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध-किसी भी किशोर अथवा बालक को से संबंधित निषेध- किसी भी किसी भी सीसा प्रक्रिया में काम महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी सीसा प्रक्रिया में काम करने करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 4क- महिलाओं के नियोजन की शर्त-की अनुमति नहीं दी जाएगी। महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किसी भी सीसा प्रक्रिया में नियोजित करने या काम करने की अनुमति दी जा सकती है:-(1) व्यवसायिक स्रक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा। (2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो. उपर्युक्त पर समय-समय प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।

(3) गर्भवती और स्तनपान कराने

वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुसूची-बारह का संशोधन

स्तम्भ-एक	स्तम्भ-दो
विद्यमान पैरा	एतदद्वारा प्रतिस्थापित पैरा
6. युवा व्यक्तियों और महिलाओं	6. युवा व्यक्तियों के नियोजन पर
के रोजगार पर प्रतिबंध-	निर्वधन।
(क) 18 वर्ष से कम आयु के	(क) 18 वर्ष से कम आयु के किसी
किसी भी व्यक्ति और महिलाओं	भी व्यक्ति को किसी भी ऐसी प्रक्रिया
को किसी भी ऐसी प्रक्रिया में	में नियोजित नहीं किया जाएगा
नियोजित नहीं किया जाएगा	जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के धुएं
जिसमें निम्नलिखित कार्यो से	या अमोनिकल वाष्प निम्नलिखित
हाइड्रोक्लोरिक एसिड धुएं या	प्रचालनों से निकलते हैं -
अमोनिकल वाष्प निकलते हैं-	(एक) खुले वर्तनों में नमकीन पानी
(i) खुले पैन में नमकीन पानी का	का वाष्पीकरणः
वाष्पीकरणः	(दो) नमक को जलानाः
(ii) नमक का स्टोविंग;	(तीन) ऐसी भट्टी पर काम करना
(iii) भट्ठी पर काम करना जहां	जहां जस्ता का उपचार किया जाता
जस्ता का उपचार किया जाता है;	है; और
और	(चार) ऐसे कार्य कक्षों की सफाई
(iv) कार्य कक्षों की सफाई जहां	करना जहां
(iii) में उल्लिखित प्रक्रिया की	(iii) में उल्लिखित प्रक्रिया की जाती
जाती है।	15
(ख) 18 वर्ष से कम आयु के	परन्तु यह कि महिला कर्मकारो को
किसी भी व्यक्ति को क्रोम प्रक्रिया	उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तो
या नाइट्रो या एमिनो प्रक्रिया में	के अध्यधीन काम करने के लिए
या ऐसी प्रक्रिया में नियोजित नहीं	नियोजित किया जा सकता है: -
किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित	(1) व्यावसायिक सुरक्षा और
सामग्रियों का उपयोग किया जाता	स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के
4	लिए भिष्णोगी राप अंगणिय
है या जहां ऐसी सामग्री का वाष्प	स्तर आवनाना वास अतरहाय

सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।

निकलता है:

कार्बन बाइसल्फाइड, सल्फर के क्लोराइड, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड ट्राइक्लोरोथलीन, कोई भी कार्बन क्लोराइड यौगिक, या प्रत्येक सामग्री में से किसी भी मिश्रण।

- (2) अधिभोगी. जहां तक संभव हो. समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।
- (3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ख) 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को क्रोम प्रक्रिया या नाइट्रो या एमिनो प्रक्रिया या ऐसी प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया **निम्नितिखित** जिसमें सामग्रियों का उपयोग किया जाता है या जहां ऐसी सामग्री का वाष्प छोड़ा जाता है: कार्बन बाइसल्फाइड, सल्फर क्लोराइड. वेंजीन, कार्वन टेटाक्लोराइड ट्राइक्लोरोथलीन. कोई भी कार्बन क्लोराइंड यौगिक या इनमें से किसी भी सामग्री से युक्त कोई मिश्रण।

अनुसूची-तेरह का संशोधन 11. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-तेरह के विद्यमान पैरा 8 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात्: -

स्तम्भ-एक	स्त
विद्यमान पैरा	एतदद्वारा प्र
8. महिलाओं और युवा व्यक्तियों	8. युवा व्यक्तियो
से संबंधित निषेध- किसी भी	किसी भी किशो
महिला या युवा व्यक्ति को किसी	किसी ऐसे कमरे
भी कमरे में नियोजित या काम	किया जायेगा
करने की अनुमति नहीं दी	अनुमति नहीं व
जाएगी, जिसमें उक्त प्रक्रियायें	उक्त प्रक्रियायें व
की जाती है।	8क-महिलाओं वे
	महिला कर्मकारों

स्तम्भ-दो एतदद्वारा प्रतिस्थापित पैरा

8. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध-किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी ऐसे कमरे में नियोजित नहीं किया जायेगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें उक्त प्रक्रियायें की जाती है। 8क-महिलाओं के नियोजन की शर्त-महिला कर्मकारों को किसी भी कमरे

में, जिसमें उक्त प्रक्रियाएं की जाती है उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्ती के अध्यधीन नियोजित किया जा सकता है या काम करने की अनुमति दी जा सकती है:-(1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा। (2) अधिभोगी, जहां तक संभव हो. समय-समय पर उपर्यक्त प्रक्रियाओं /स्थानों का आध्निकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा। (3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अन्मति नहीं दी जाएगी।

अनुसूची- चौदह का संशोधन 12. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-चौदह के विद्यमान पैरा 6 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात: -

#### स्तम्भ-एक स्तम्भ-दो विद्यमान पैरा एतदद्वारा प्रतिस्थापित पैरा 6. महिलाओं और युवा व्यक्तियों 6. युवा व्यक्तियों से संबंधित के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध.-निषेध- किसी भी किशोर अथवा किसी भी महिला या युवा व्यक्ति बालक को किसी ऐसे कार्य कक्ष में को किसी ऐसे कार्य कक्ष में नियोजित नहीं किया जाएगा या नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी काम करने की अन्मति नहीं दी जाएगी, जिसमें बेंजीन या वेंजीन जाएगी, जिसमें बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थी के संपर्क में आना युक्त पदार्थी के संपर्क में आना शामिल हो। शामिल हो। 6क- महिलाओं के नियोजन की शर्त- महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्ता के अध्यधीन किसी ऐसे कार्य कक्ष में

काम करने के लिए नियोजित या काम करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थीं के संपर्क में आना सम्मिलित हो: सुरक्षा और (1) व्यवसायिक स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा। (2) अधिभोगी. जहां तक संभव हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/ स्थानों

हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/ स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।

(3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुसूची-बीस का संशोधन 13. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची- बीस के विद्यमान पैरा 15 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थातः -

स्तम्भ-एक	स्तम्भ-दो
विद्यमान पैरा	एतदद्वारा प्रतिस्थापित पैरा
15. महिलाओं और युवा व्यक्तियों	15. युवा व्यक्तियों से संबंधित
का रोजगार किसी भी महिला या	निषेध- विलायक निष्कर्षण संयंत्र
युवा व्यक्ति को विलायक निष्कर्षण	में किसी किशोर या बच्चे को
संयंत्र में नियोजित नहीं किया	नियोजित नहीं किया जाएगा।
जाएगा।	15क- महिलाओं के नियोजन की
	शर्त- विलायक निष्कर्षण संयत्र में
	महिला कर्मकारों या युवा व्यक्तियों
	को उनकी सहमति से निम्नलिखित
	शर्तों के अधीन नियोजित किया जा
	सकता है:-

	(1) व्यवसायिक सुरक्षा और
	स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने
	के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय
	सुरक्षा मानकों को अपनाया
	जाएगा।
	(2) अधिभोगी. जहां तक संभव
	हो, समय-समय पर उपर्युक्त
	प्रक्रियाओं / स्थानों का
	आधुनिकीकरण करेगा और
	आधुनिक उपकरणों का उपयोग
	करेगा।
	(3) गर्भवती और स्तनपान कराने
	वाली महिला को बाथ पर
	नियोजित करने या काम करने की
	अनुमति नहीं दी जाएगी।
100	

अनुसूची-इक्कीस का संशोधन 14. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-इक्कीस के विद्यमान पैरा 6 के स्थान पर स्तम्भ- दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात: -

स्तम्भ-एक	स्तम्भ-दो
विद्यमान पैरा	एतदद्वारा प्रतिस्थापित पैरा
6. महिलाओं और युवा व्यक्तियों	6. युवा व्यक्तियों से संबंधित
के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध	निषेध- किसी भी किशोर अथवा
किसी भी महिला या युवा व्यक्ति	बालक को किसी भी मैगनीज
को किसी भी मैगनीज प्रक्रिया में	प्रक्रिया में नियोजित करने या
नियोजित या काम करने की	काम करने की अनुमति नहीं दी
अनुमति नहीं दी जायेगी।	जायेगी।
	6क- महिला कर्मकारों को उनकी
	सहमति से निम्नलिखित शर्तो के
	अध्यधीन किसी भी मैंगनीज
	प्रक्रिया में नियोजित किया जा
	सकता है या काम करने की
	अनुमति दी जा सकती है:-
	(1) व्यवसायिक सुरक्षा और
	स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने
	के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय

सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।

- अधिभोगी. जहां तक सभव (2) हो, समय-समय पर उपयेक्त प्रक्रियाओं / स्थानों आधुनिकीकरण और आधुनिक उपकरणों का करेगा।
- (3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अन्सूची- बाइस का संशोधन

15. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी अनुसूची-बाइस के विद्यमान पैरा 5 के स्थान पर स्तमभ दो दिया गया पैरा एख दिया जाएगा, अर्थात:-

## स्तम्भ-एक विद्यमान पैरा

के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध.-किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को ऐसे किसी भी कमरे में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है या ऐसे किसी भी कमरे में जिसमें खतरनाक कीटनाशक संग्रहीत किया जाता है।

## स्तमभ-दो एतदद्वारा प्रतिस्थापित पैरा

5. महिलाओं और युवा व्यक्तियों 5. युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी भी किशोर अथवा बालक को किसी ऐसे कमरे में नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है या किसी ऐसे कमरे में जिसमें खतरनाक कीटनाशक संग्रहीत है। 5क-महिलाओं के नियोजन की शर्तः-

> महिला कर्मकारों को किसी ऐसे कमरे में उनकी सहमति निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन नियोजित करने या काम करने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है या किसी ऐसे कमरे में जिसमें खतरनाक कीटनाशक संग्रहीत है:-

(1) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रदान करने के लिए अधिभोगी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।
(2) अधिभोगी. जहां तक संभव हो. समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।
(3) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को बाथ पर नियोजित करने या काम करने की अनुमित नहीं दी जाएगी।

आजा से,

: C. R.P. D. 2

( डा॰ एम॰के॰ शन्मुगा सुन्दरम् ) प्रमुख सचिव। संख्या:- 963 (1)/36-03-2025-1792147 तिद्दनांक प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

- 1- अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशवाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक ०4 जुलाई, 2025 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4(खण्ड-क) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 500 प्रतियाँ श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, उ॰प्र॰ सचिवालय लखनऊ एवं 100 प्रतियां कार्यालय श्रम आयुक्त, उ॰प्र॰, जी॰टी॰रोड, कानपुर को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- श्रम आयुक्त, उ०प्र०/निदेशक कारखाना, उ०प्र० कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की गजट प्रति संरक्षित करते हुए विभागीय पोर्टल/ वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से, Digitally signed by GIRIJA PATI DWIVEDI Date: 04-07-2025 ( गिरिका40प्रीते द्विवेदी ) संयुक्त सचिव।

## Uttar Pradesh Shasan Shram Anubhag-3

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 963 /XXXVI-03-2025-1792147 dated 4/7/2025

#### **Notification**

No. 963 /XXXVI-03-2025-1792147 Lucknow; Dated 4-7-2025


WHEREAS the Uttar Pradesh Factories (Seventy-Fifth Amendment) Rules, 2025 which the Governor proposes to make in exercise of the powers under Sections 6 and 112 of the Factories Act, 1948 (Act no. 63 of 1948) read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) was published in the official Gazette vide Notification no. 01/2025/609/XXXVI-03-2025-1792147 dated April 23, 2025 as required under Section 115 of the Factories Act, 1948 (Act no. 63 of 1948) inviting objections and suggestions in respect thereof within a period of forty-five days from the date of publication of the said Notification in the Gazette;

AND WHEREAS no objection or suggestion have been received within the stipulated time;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Sections 6 and 112 of the Factories Act, 1948 (Act no. 63 of 1948) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following Rules with a view to amend the Uttar Pradesh Factories Rules, 1950:

## THE UTTAR PRADESH FACTORIES (SEVENTY-FIFTH AMENDMENT) RULES, 2025


Short title and commencement	1-(1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Factories (Seventy-Fifth Amendment) Rules, 2025.	
	(2) They shall come into publication in the Official C	o force with effect from the date at their Gazette.
Amendment of Schedule II	2- In the Uttar Pradesh Factories Rules, 1950 (hereinafter referred to as the 'said rules') <i>for</i> the existing paragraph 3 of Schedule II set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be <i>substituted</i> , namely:-	
	Column-I	Column-II
	Existing paragraph	Paragraph as hereby substituted
	3. Prohibition relating to	3. Prohibition relating to young




women and young persons— No young person shall be woman, employed or permitted to work at a persons—No adolescent or child shallbath. be employed or permitted 3-A CONDITION OF to work at a bath. EMPLOYMENT OF WOMEN-Women workers may be employed or permitted to work at a bath with their consent to work subject to following conditions: (1) International Safety standards shall be adopted by the occupier providing Occupational Safety and Health (OSH). (2) The occupier shall, as far as possible. modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments. (3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath. 3- In the said Rules, for the existing paragraph 3 of Schedule III Amendment of Schedule III set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be substituted, namely:-Column-I Column-II Existing paragraph Paragraph as hereby substituted 3. Prohibition relating to 3. Prohibition relating to young women and young persons—No young person shall be oremployed or permitted to work in persons—No woman person shall belany lead process or in any room in voung employed or permitted to which the manipulation of raw oxide work in any lead process on of lead or pasting is carried on. in any room in which the 3-A CONDITION OF manipulation of raw oxide EMPLOYMENT OF WOMEN of lead or pasting is carried Women workers may be employed on. or permitted to work in any lead process or in any room in which the manipulation of raw oxide of lead or pasting is carried on with their consent to work subject to the following conditions:-

...

a second to the second		
	(1) International Safety shall be adopted by the oproviding Occupational Health (OSH).	occupier for
	(2) The occupier shall, possible, modernise to processes/places from the and will use modern equip	he above ne to time
	(3) Pregnant and brea women shall not be en permitted to work at a bath	nployed or
Amendment of Schedule IV	4- In the said Rules, <i>for</i> the existing paragraph 4 of S set out in Column-I below, the paragraph as set out II shall be <i>substituted</i> , namely:-	
	Column-II Column-II	
	Existing paragraph Paragraph as hereby su	bstituted
	4. Prohibition relating to 4. Prohibition relating women and young persons-persons- No young person No woman or young person employed or permitted to shall be employed or of the operations spermitted to work in any ofparagraph 3 and on glass the operations specified inat any place where such paragraph 3 and on glass are carried on. blowing or at any place where such operations are	on shall be work in any ecified in blowing or
	carried on. 4-A CONDITION	
	EMPLOYMENT OF  Women workers may be or permitted to work in operations specified in p and on glass blowing or a where such operations are with their consent to work the following conditions:  (1) International Safety shall be adopted by the opproviding Occupational Health (OSH).	e employed any of the paragraph 3 at any place e carried on k subject to standards occupier for
	(2) The occupier shall, possible, modernise to processes/places from times.	the above



		and will use modern equipments.  (3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.
Amendment Schedule VI	of 5- In the said Rules, for set out in Column-I bel II shall be substituted, n	the existing paragraph 4 of Schedule V ow, the paragraph as set out in Columnamely:-
	Column-I	Column-II
	Existing paragraph	Paragraph as hereby substituted
	women and young persons— No woman o young person shall be employed or permitted to work in any of the	4-A CONDITION OF EMPLOYMENT OF WOMEN- Women workers may be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 3 with their consent to work subject to the following conditions:- (1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).
		(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.
		(3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.
Amendment of Schedule VII	<b>6-</b> In the said Rules, <i>for</i> the existing paragraph 1 of Schedule VII set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be <i>substituted</i> , namely:-	
	Column-I	Column-II
	Existing paragraph	Paragraph as hereby substituted
	1. Prohibition relating t	ol. Prohibition relating to young



women and young persons-persons - No young person shall be No woman or young personemployed or permitted to work in or employed orshall be allowed to enter any building permitted to work in orin which the generation of gas from shall be allowed to enterdangerous petroleum is carried on.

any building in which the generation of gas from dangerous petroleum carried on.

CONDITION OF EMPLOYMENT OF WOMEN

Women workers may be employed or permitted to work in or shall be allowed to enter any building in which the generation of gas from dangerous petroleum is carried on with their consent to work subject to the following conditions:

- (1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).
- (2) The occupier shall, as far as possible. modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.
- (3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.


Amendment Schedule VIII

off7- In the said Rules, for the existing second proviso of paragraph of Schedule VIII set out in Column-I below, the proviso as set out in Column II shall be *substituted*, namely:

Column-I	Column-II
Existing proviso	Proviso as hereby substituted
	eyoung person shall be employed tor permitted to work at any
8- In the said Rules, in Scheo following paragraph 2-A shall, be	dule VIII, after paragraph 2, the inserted, namely:-
Insertion 2-A CONDITION	N OF EMPLOYMENT OF
	workers may be employed or

New permitted to work at any operation of sand blasting

	paragraph 2-A	with their consent to work subject to the following conditions:- (1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).				
		the above pro- use modern ed (3) Pregnant	cesses/j quipme and bre	all, as far as possible, modernise blaces from time to time and will ints.  East feeding women shall not be ted to work at a bath.		
Amendment Schedule X	set out	9- In the said Rules, <i>for</i> the existing paragraph 4 of Schedule X set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be <i>substituted</i> , namely:-				
	C	olumn-I		Column-II		
	Existin	Existing paragraph		ragraph as hereby substituted		
	young pe employed		Wome permit with the following provide Health	CONDITION OF COYMENT OF WOMEN- en workers may be employed on ted to work in any lead process their consent to work subject to lowing conditions:- ernational Safety standards shall dopted by the occupier for ing Occupational Safety and (OSH).		
			possib proces will us (3) Pro	he occupier shall, as far as le, modernise the above ses/places from time to time and se modern equipments.  egnant and breast feeding women to be employed or permitted to		
Amendment Schedule XII	Schedu	work at a bath.  10- In the said Rules, for the existing paragraph 6 of Part II of Schedule XII set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be substituted, namely:-				
		Column-I		Column-II		



Existing paragraph	Paragraph as hereby substituted
6. Restrictions on the	6. Restrictions on the employment of young persons —
and women—  (a) No person under 18 years of age and women shall neither be employed in any process in which hydrochloric acid fumes or ammonical vapours are given off from the following operations—  (i) evaporation of brine in open pans;	(a) No person under 18 years of age shall neither be employed in any process in which hydrochloric acid fumes or ammonical vapours are given off from the following operations—  (i) evaporation of brine in open pans:
(ii) stoving of salt; (iii) work at a furnace where the	treatment of zinc is carried on;
(iv) the cleaning of work rooms where the process mentioned in (iii) is carried on.	where the process mentioned in (iii) is carried on.  Provided that women workers may be employed with their consent to work subjected to
age shall be employed in a chrome process or in nitro or amino process or in a process in which the following materials are used or where the vapour of	(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational
Carbon bisulphide, chlorides of sulphur, benzene, carbon tetrachloride trichlorathlene, any carbon chloride compound.	time and will use modern equipments.
or each materials.	(3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.
	(b) No person under 18 years of age shall be employed in a chrome process or in nitro or amino process or in a process in which the following materials are
	used or where the vapour of such

		material is given off:  Carbon bisulphide, chlorides of sulphur, benzene, carbon tetrachloride trichlorathlene, any carbon chloride compound, or any mixture containing any of each materials.		
Amendment of Schedule XIII	11- In the said Rules, <i>for</i> the existing paragraph 8 of Schedule XIII set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be <i>substituted</i> , namely:-			
	Column-I	Column-II		
	Existing paragraph	Paragraph as hereby substituted		
	employment of women and young persons—No woman or young person shall be employed or permitted to work in any room in which	8-A CONDITION OF EMPLOYMENT OF WOMEN-Women workers may be employed or permitted to work in any room in which the said processes are carried on with their consent to work subject to the following conditions:- (1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for		
		providing Occupational Safety and Health (OSH).  (2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.  (3) Pregnant and breast feeding		
		women shall not be employed or permitted to work at a bath.		
Amendment of Schedule XIV	12- In the said Rules, <i>for</i> the existing paragraph 6 of Schedule XIV set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be <i>substituted</i> , namely:-			
	Column-I	Column-II		

Existing paragraph	Paragraph as hereby substituted			
employment of women young persons—No wor or young person shall employed or permitted work in any workroinvolving exposure	to 6. Prohibition relating to and employment of young persons—No manyoung person shall be employed or be permitted to work in any workroom to involving exposure to benzene or substances containing benzene.  to 6-A CONDITION OF EMPLOYMENT OF WOMEN-Women workers may be employed or permitted to work in any workroom involving exposure to benzene or substances containing			
	benzene with their consent to work subject to the following conditions:- (1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).			
	(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.			
	(3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.			
13- In the said Rules, <i>for</i> the existing paragraph 15 of Schedule XX set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be <i>substituted</i> , namely:-				
Column-I	Column-II			
Existing paragraph	Paragraph as hereby substituted			
	15. Employment of young persons—No young person shall be employed in the solvent extraction plant.			
employed in the solvent extraction plant.	15-A CONDITION OF EMPLOYMENT OF WOMEN-Women workers may be employed or young person may be employed in the solvent extraction plant with their			
	consent to work subject to the following			

Amendment

Schedule XX

		conditions:- (1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH). (2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments. (3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.		
Amendment of Schedule XXI	14- In the said Rules, for the existing paragraph 6 of Schedule XXI set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column II shall be substituted, namely:-			
	Column-I	Column-II		
	Existing paragraph	Paragraph as hereby substituted		
	women and youn persons—No woman of young person shall be employed or permitted to	Women workers may be employed or permitted to work in any manganese process with their consent to work subject to the following conditions:  (1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).		
		(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.  (3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to		
Amendment of Schedule XXII	The state of the s	work at a bath.  for the existing paragraph 5 of Schedule mn-I below, the paragraph as set out in a stituted, namely:-		

# Column-I Column-II Existing paragraph Paragraph as hereby substituted

5. Prohibition relating to 5. Prohibition relating to employment of women or employment of young persons—young persons—No woman No young person shall be or young person shall be employed or permitted to work in employed or permitted to any room in which the said work in any room in which manufacturing process is carried on the said manufacturing or in any room in which dangerous process is carried on or in any pesticide is stored.

room in which dangerous 5-A

pesticide is stored.

5-A CONDITION OF EMPLOYMENT OF WOMEN-

Women workers may be employed or permitted to work in any room in which the said manufacturing process is carried on or in any room in which dangerous pesticide is stored with their consent to work subject to the following conditions.

- (1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).
- (2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.
- (3) Pregnant and breast feeding women shall not be employed or permitted to work at a bath.

By order,

( Dr. M.K. Shanmuga Sundaram )

Principal Secretary